**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**
**NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**
**BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)

**Friday, 21 February, 2020/ 02, Phalgun, 1941(Shaka)**

**No. 03**

# Election of Speaker

In pursuance of Rule 8 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, the Hon'ble Lieutenant Governor has been pleased to fix **Monday, the 24th February, 2020** for holding the election to the office of the Speaker of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. The election of Speaker shall be held from 02.00 P.M. onwards on 24th February, 2020.

In this connection, attention of Members is invited to sub-rules (2), (3) & (4) of Rule 8 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi which are reproduced below:-

> "(2) At any time before noon on the day preceding the date so fixed, any Member may give notice in writing, addressed to the Secretary, of a motion that another Member be chosen as the Speaker of the House, and the notice shall be seconded by a third Member and shall be accompanied by a statement by the Member whose name is proposed in the notice that he is willing to serve as Speaker, if elected;
>
> Provided that a Member shall not propose his own name, or second a motion proposing his own name, or propose or second more than one motion.
>
> (3) A Member in whose name a motion stands on the list of business shall, unless he states that he does not wish to move the motion, move the motion when called upon to do so. In either case he shall confine himself to a mere statement to the effect that he moves the motion or that he does not intend to move the motion.
>
> (4) The motions which have been moved and duly seconded shall be put one by one in the order in which they have been moved, and decided, if necessary, by division. If any motion is carried, the person presiding shall without putting later motions, declare that the Member proposed in the motion which has been carried, has been chosen as the Speaker of the House".

**NOTICE OF MOTION FOR THE ELECTION OF THE SPEAKER CAN BE GIVEN UPTO SATURDAY, 22 FEBRUARY, 2020 BEFORE NOON TO THE SECRETARY, LEGISLATIVE ASSEMBLY.**

For the convenience of Members, Form for giving notice of motion for election of Speaker is enclosed herewith. The same is also available in the Notice Branch of the Assembly Secretariat and Assembly Website **delhiassembly.nic.in** under the Head- **"Download Forms".**

**C. Velmurugan**
**Secretary**

# विधान सभा सचिवालय
# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
## समाचार भाग –2
**(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)**
**शुक्रवार, 21 फरवरी, 2020 / 02, फाल्गुन, 1941 (शक)**

**संख्या– 03**

## अध्यक्ष का निर्वाचन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम–8 के अनुसरण में माननीय उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के अध्यक्ष पद का निर्वाचन करने के लिए **दिनाँक सोमवार, 24 फरवरी, 2020** का दिन निश्चित किया है। अध्यक्ष का निर्वाचन 24 फरवरी, 2020 को अपराह्न 02.00 बजे से होगा।

इस संबंध में माननीय सदस्यों का ध्यान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम–8 के उप नियम–(2), (3) एवं (4) की ओर आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार हैः–

''(2) इस प्रकार निश्चित तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले कोई भी सदस्य किसी भी समय इस प्रस्ताव की, कि किसी अन्य सदस्य को सभा का अध्यक्ष चुना जाए, सचिव को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में सूचना दे सकेगा और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरा सदस्य करेगा तथा उसके साथ उस सदस्य का, जिसका नाम सूचना में प्रस्तावित किया जाये, यह कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को सहमत है;
परन्तु कोई सदस्य अपना नाम स्वयं प्रस्तावित नहीं करेगा, न अपना नाम प्रस्तावित करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा अथवा न ही एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तावित या अनुमोदित करेगा।

(3) कार्य सूची में, जिस सदस्य के नाम में कोई प्रस्ताव हो, वह जब तक यह नहीं कहता है कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करना नहीं चाहता, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। किसी भी मामले में वह अपना कथन इस बात तक ही सीमित रखेगा कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करता है या वह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना चाहता है।

(4) जो प्रस्ताव प्रस्तुत एवं विधिवत् अनुमोदित हो गये हो, वे एक–एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे जिसमें कि वे प्रस्तुत किये गये हों और यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्तावों को रखे बिना ही घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्तावित सदस्य सभा के अध्यक्ष चुन लिये गये हैं।''

**अध्यक्ष के निर्वाचन के प्रस्तावों की सूचना शनिवार, 22 फरवरी, 2020 मध्याह्न से पहले तक विधान सभा सचिव को दी जा सकेगी।**

सदस्यों की सुविधा के लिए अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु प्रस्तावों की सूचना देने के लिए निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म) संलग्न है जो कि विधान सभा सचिवालय की सूचना शाखा (नोटिस शाखा में) एवं विधानसभा की वेबसाइट **delhiassembly.nic.in** पर **“Download Forms”** के अंतर्गत भी उपलब्ध है।

सी. वेलमुरूगन
सचिव

**LEGISLATIVE ASSEMBLY**
**NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**
**OLD SECRETARIAT, DELHI 110 054**

# NOTICE OF MOTION FOR ELECTION OF SPEAKER

**Place:** ________________

**Date:** ________________

To

The Secretary,
Legislative Assembly,
National Capital Territory of Delhi.

Sir,

Under Rule 8 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, I give notice of the following motion which I propose to move in the House on the __________________.

"That Shri/Smt./Ms. ____________________________________________________, a Member of this House, be chosen as the Speaker of this House."

**Yours Sincerely,**

Signature: ____________________

Name: ________________________
MLA

I second the above motion.

Signature: ___________________

Name: _______________________
MLA

I am willing to serve as Speaker, if elected.

Signature: ___________________

Name: _______________________
MLA

# विधान सभा
# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
# पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

## अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव

**स्थान :____________**

**दिनांक :____________**

सेवा में,

सचिव,
दिल्ली विधान सभा,
दिल्ली

महोदय,

मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम–8 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना देता/देती हूँ, जिसे मैं दिनांक______________ को सदन में प्रस्तुत करना चाहता/चाहती हूँ :

'' कि श्री/श्रीमती/सुश्री ____________________________ को जो इस सदन के सदस्य हैं, इस सदन का अध्यक्ष चुना जाये।''

**भवदीय**

हस्ताक्षर :_________________

नाम :__________________
सदस्य, विधान सभा

मैं उपर्युक्त प्रस्ताव का समर्थन करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर :_________________

नाम :__________________
सदस्य, विधान सभा

मैं निर्वाचित होने पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हूँ।

हस्ताक्षर :_________________

नाम :__________________
सदस्य, विधान सभा